जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा, जयपुर–302026 (राजस्थान)

प्री–शास्त्री–शिक्षाशास्त्री (पी.एस.एस.एस.टी.) परीक्षा–2017

सामान्य दिशा निर्देशिका

संरक्षक

प्रो. विनोद कुमार शर्मा

कुलपति

समन्वयक

महेश नारायण शर्मा (RAS)

कुलसचिव

सह–समन्वयक

डॉ. जे. एन.विजय
सहायक कुलसचिव

डॉ.दिवाकर मिश्र
विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

ग्राम–मदाऊ, पोस्ट–भांकरोटा, जयपुर–302026 (राजस्थान)

हैल्पलाईन नम्बरः– 7425802521, 0141–5132005 वैबसाईट www.psst2017.in

चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम
पीएसएसएसटी–2017
महत्वपूर्ण निर्देश

1. **पात्रताः** वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय सहित)/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

2. प्रवेश परीक्षा (पीएसएसएसटी 2017) शुल्क 500/– रुपये

(निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक अर्हता के साथ)

3. फोन परामर्श

(i) **हैल्पलाईन न.**	**7425802521**
(ii) पीएसएसएसटी कार्यालय	0141–5132005
(iii) संबंधित वेबसाईट	**www.psst2017.in**

4. पीएसएसएसटी परीक्षा –2017 के आयोजन की तिथि **दिनांक 23 अप्रैल, 2017 (रविवार)**

<u>पी.एस.एस.एस.टी 2017 में प्रवेश हेतु मार्गदर्शन :–</u>

1. प्रतियोगी परीक्षा सर्वोत्तम को चुनने की प्रक्रिया है। अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु पाठ्यबिन्दु एवं अंकयोजना की रूपरेखा दी जा रही है।

(i) पी.एस.एस.एस.टी 2017 द्वारा आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, इसके चार भाग होंगे।

(ii) प्रश्न की भाषा संस्कृत होगी तथा प्रश्न वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकेण्ड्ररी (10+2) के स्तर के होंगे।

(iii) सम्पूर्ण प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा।

(iv) प्रश्न पत्र की अवधि 03 घण्टे की होगी। प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे तथा इनकी जांच में नकारात्मक अंक पद्धति (Negative Marking Method) नहीं अपनायी जावेगी।

(v) प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। (उदाहरणार्थ देखें संलग्न आदर्श प्रश्न पत्र)

2. पाठ्य बिन्दुः– (i) **संस्कृत भाषा एवं साहित्य – 80 अंक**

क. भाषा योग्यता – 40 अंक विषय क्षेत्र – वर्ण भेद (स्वर, व्यंजन), उच्चारण स्थान, **शब्द रूप–** (देव, राम, छात्र मुनि, कवि, गिरि, साधु, गुरू, भानु, भातृ, पितृ, कर्तृ, लता, बाला, कक्षा, मति, रात्रि, रूचि, नदी, श्रीमती, पत्नी, ज्ञान, मित्र, गृह, वारि, दधि, अस्थि, मधु, अश्रु, वस्तु, अस्मद्, युष्मद्, इदम्, तत्, किम् एवं यत् शब्द रूपों का तीनों लिंगों में ज्ञान।) **धातु रूप–** (पठ्, गम्, नम्, चल्, खाद्, दृश्, जि, अस्, भू, पा, हन्, जिघ्र, पत्, स्म्, हस्, रक्ष्, पच्, स्था, कुध, श्रु, वद्, इष्, आप्, लिख्, प्रच्छ, कृ, सेव्, मुद्, चुर, लभ्, याच् तथा हृ धातुओं के पाँच लकारों – लट्,

लङ्, लृट् लोट एवं विधीलिंग का ज्ञान।) **सन्धि–(**दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्वरूप, पररूप, प्रकृतिभाव, श्चुत्व, ष्टुत्व, जशत्व, चर्त्व, अनुस्वार, अनुस्वारपरसवर्ण, छत्व, सत्व, रूत्व, उत्व एवं विसर्ग सन्धियों से संबंधित सन्धि कार्य एवं सन्धि विच्छेद का ज्ञान।) **समास** –अव्ययीभाव, तत्पुरूष, द्विगु, कर्मधारय, द्वन्द्व तथा बहुब्रीहि समासों से संबंधित सामासिक विग्रह करने एवं समस्त पद बनाने का ज्ञान) **कारक–** कारक विभक्तियों एवं उपपद विभक्तियों के प्रयोगात्मक ज्ञान, **प्रत्यय–(**शतृ, शनच, क्त, क्तवतु, तव्यत, अनीयर, तुमुन, क्त्वा, ल्यप्, क्तिन्, मतुप्, इन् ठक, ठञ्, त्व, तल, टाप्, ङीप् तथा ङीष प्रत्ययों का ज्ञान) **उपसर्ग,संख्यावाची शब्द, लिंग** एवं **वचनों** का ज्ञान।

ख. संस्कृत साहित्य का परिचयात्मक ज्ञान — 40 अंक (विषय क्षेत्र– वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, वेदांग, आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनों तथा राजस्थानीय अर्वाचीन संस्कृत साहित्य का परिचयात्मक ज्ञान)

(ii) **सामान्य ज्ञान–40 अंक** (विषय क्षेत्र–भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक स्थान, भूगोल, पर्यावरण, पुरस्कार, खेलकूद, विशिष्ट दिवस, समसामयिक घटनाएँ तथा राजस्थान राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान)

(iii) **मानसिक योग्यता–40 अंक** (विषय क्षेत्र– दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता तथा विभेदीकरण, संबंध–मानवीय संबंध, कार्य–कारण संबंध, आधार आधेय संबंध, विश्लेषण, तार्किक चिन्तन, तार्किक योग्यता तथा दर्पण में समय का अभिप्राय)

(iv) **शिक्षण अभिरूचि–40 अंक** (विषय क्षेत्र–शिक्षण –अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति, सामाजिक संवेदनशीलता तथा शिक्षक की भूमिका)

सत्र 2017–18 में चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश देने हेतु प्री–शास्त्री–शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा 2017 को आयोजित करने के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश क्रमांक प.10 (3) शिक्षा–4/2012, पार्ट जयपुर दिनांक 28.11.2016 के अनुसार जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर को अधिकृत किया गया है।

प्री–शास्त्री–शिक्षाशास्त्री टेस्ट–2017 (PSSST-2017)
: : प्रवेश नियम : :

1. राजस्थान के सभी शास्त्री–शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्री शास्त्री–शिक्षाशास्त्री टैस्ट (पी.एस.एस.एस.टी.) आयोजित होगा। इस प्रतियोगी परीक्षा हेतु जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान से वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकेण्डरी (10+2) परीक्षा (संस्कृत विषय सहित) में अथवा समकक्ष परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकेण्डरी (10+2) संस्कृत विषय सहित परीक्षा के समतुल्य मानी गई परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक (राज्य सरकार के नियमानुसार) प्राप्त किये हों तथा प्रवेश की अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों। पीएसएसएसटी 2017 के माध्यम से शास्त्री–शिक्षाशास्त्री चार वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के योग्य हैं।
2. अर्हक परीक्षा–वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय सहित) या समकक्ष परीक्षाओं के अन्तिम वर्ष में 2017 में बैठने वाले विद्यार्थी भी प्री–पीएसएसएसटी 2017 के माध्यम से चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं तथा पीएसएसएसटी परीक्षा 2017 में बैठ सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि एसे अभ्यर्थी से महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय किसी प्रकार का प्रोविजनल प्रमाण पत्र अथवा समाचार पत्र में घोषित परिणाम या इंटरनेट से जारी अंक तालिका आदि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पीएसएसएसटी की अर्हक परीक्षा वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय सहित) या समकक्ष परीक्षा में प्रविष्ठ अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग के समय अर्हक परीक्षा की मूल अंकतालिका अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
3. अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध कुल स्थानों के अन्तर्गत भी आना चाहिये।
4. पीएसएसएसटी में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची बनाई जायेगी।
5. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राजस्थान राज्य के मूल निवासी पात्र होंगे परन्तु प्रवेश क्षमता की कुल सीटों में से 5 प्रतिशत सीटों पर राज्य से बाहर के आवेदकों को मेरिट से प्रवेश दिया जा सकेगा बशर्ते राजस्थान से बाहर के आवेदकों की मेरिट किसी विशेष श्रेणी में राजस्थान के अंतिम प्रविष्ट आवेदक की मेरिट (कटऑफ) से कम नहीं हो।
6. उपलब्ध स्थानों की कुल संख्या में से आरक्षण इस प्रकार किया जायेगा :–
   (i) राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये .....16 प्रतिशत

(ii) राजस्थान के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये .....12 प्रतिशत

नोट :– राजस्थान सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प 10(6) शिक्षा–1/2007 जयपुर दिनांक 18.02.2010 के आदेशानुसार अनुसूचित जाति के उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं को उपरोक्त 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के पांच जिले–बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ, उदयपुर एवं सिरोही हैं।

(iii) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये .....21 प्रतिशत

(iv) महिला अभ्यर्थी .....20 प्रतिशत (सह शिक्षा महाविद्यालयों में मैरिट के आधार पर) महिला शिक्षा महाविद्यालयों में सभी स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे किन्तु इनमें राजस्थान राज्य के आरक्षण नियमों की अनुपालना की जायेगी। महिलाओं के लिए कुल उपलब्ध स्थानों में 8 प्रतिशत विधवा तथा 2 प्रतिशत विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थियों कों आवंटित किये जायेंगे।

(v) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए (मूक–बधिर, अस्थि विकलांग तथा दृष्टिहीन प्रत्येक को 01 प्रतिशत) न्यूनतम 40 प्रतिशत असमर्थता होने पर .....03 प्रतिशत।

(अ) जहां मेडिकल कॉलेज है वहां के सम्बद्ध विशेषज्ञ रीडर से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

(ब) जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां के सी.एम.एच.ओ से अथवा विशेषज्ञता रखने वाले जूनियर स्पेशलिस्ट से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर।

(vi) सेवारत/सेवामुक्त/सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी अथवा उसके वार्ड (आश्रित) के लिये ..... 05 प्रतिशत।

(vii) कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 15 (24) कार्मिक/क–2/75 दिनांक 07.08.07 के अनुसार विशेष पिछडा (SBC) को 1 प्रतिशत आरक्षण देय है।

<u>नियम 06 का स्पष्टीकरण</u>

(i) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) वार्ड (आश्रित) से अभिप्राय– पुत्र, पुत्री, पत्नी/पति है। सगे भाई–बहिन भी रक्षाकर्मी के वार्ड माने जा सकते हैं बशर्ते वे उसके आश्रित हो और उनके माता–पिता जीवित न हों।

(iii) रक्षाकर्मी या उसके आश्रित के लिए– सचिव, सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा नियमानुसार जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iv) परित्यक्ता महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उसने पुनः शादी नहीं की है। इसी

प्रकार विधवा वर्ग में होने का ग्राम पंचायत/म्यूनिसिपल बोर्ड के सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रावधान मुस्लिम महिला आवेदकों पर भी लागू होगा।

(v) राजस्थान का मूल निवासी होने के दावे के निर्णय हेतु किसी सक्षम अधिकारी–जिला मजिस्ट्रेट अथवा इस निमित्त अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। विवाहित महिला के सन्दर्भ में उसके पति का मूल निवास राजस्थान में उसका मूल निवास माना जा सकता है बशर्ते पति के निवास का मूल निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाए और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो परीक्षा में बैठने के लिये भरे गये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए।

(vi) रक्षाकर्मियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान के बाहर पदस्थापित है/थे परन्तु जो मूलतः राजस्थान के निवासी हैं उन्हें भी चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र माना जा सकता है बशर्ते उन्होंने पी.एस.एस.एस.टी में बैठने के लिए भरे गये आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता का प्रमाण पत्र और सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त मूल निवास का प्रमाण–पत्र संलग्न किया हो। किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या पाया गया तो अभ्यर्थी स्वतः ही परीक्षा में बैठने की पात्रता खो देगा और यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।

7. पात्र अभ्यर्थियों की कुल संख्या में से पहले सामान्य श्रेणी की सीटों हेतु चयन किया जायेगा। तत्पश्चात् आरक्षित कोटे का चयन किया जायेगा और यदि आरक्षित कोटे के स्थान रिक्त रहेंगे तो उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानान्तरित किया जायेगा और उनकी योग्यता सूची से भरा जायेगा।

8. महाविद्यालय का आवंटन काउन्सलिंग द्वारा किया जायेगा। काउन्सलिंग एवं परीक्षा परिणाम की जानकारी इंटरनेट पर विश्वविद्यालय की वैबसाइट **www.psst2017.in** पर उपलब्ध होगी। काउन्सलिंग की समय सारणी समाचार पत्रों एवं ऊपर वर्णित वैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे परिणाम की घोषणा के दिन से प्रमुख समाचार पत्रों एवं ऊपर वर्णित वैबसाइट देखते रहें। काउन्सलिंग के समय आपको वरीयता क्रम से उन महाविद्यालयों का चयन करना चाहिए जिनमें आप प्रवेश लेना चाहेंगे, महाविद्यालय का चयन करते समय यह सावधानी रखनी है कि आप किसी ऐसे महाविद्यालय का नाम नहीं चुने जहां आपके संकाय से संबंधित विषय/आधुनिक विषय अभ्यास शिक्षण विषय के रूप में उपलब्ध ही न हो। किन्हीं अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत रूप से काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होने पर या काउन्सलिंग के समय जो कॉलेज उनको आवंटित किया जाता है उसे अस्वीकार करने पर वे चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.एस.एस.एस.टी 2017 द्वारा निर्धारित मैरिट में से अपना स्थान खो देंगे और पुनः उनके मामले पर विचार नहीं किया

जायेगा। एक बार महाविद्यालय का आवंटन हो जाने के बाद किसी भी दशा में महाविद्यालय के परिवर्तन (व्यक्तिगत स्थानान्तरण अथवा पारस्परिक स्थानान्तरण के रूप में) हेतु प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रवेश परीक्षा (पीएसएसएसटी–2017) शुल्क 500/– रुपये हैं।

काउन्सलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी 5000/– रु. समन्वयक पी.एस.एस.एस.टी. 2017 के पक्ष में चालान बनवाकर जमा कराने के पश्चात् ही चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। **यदि अभ्यर्थी द्वारा अपात्रता की स्थिति में गलत तथ्यों यथा अर्हक परीक्षा उत्तीर्णता प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना, गलत कैटेगरी में अपने आपको पंजीकृत करना आदि के आधार पर पंजीकरण शुल्क जमा करवा कर ऑनलाइन प्रवेश लेने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का सम्पूर्ण पंजीकरण शुल्क 5000/– रूपये जब्त कर ली जावेगी।**

केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था द्वारा प्रविष्ट प्रत्येक अभ्यर्थी से फीस के रूप में 26930/– रु. या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क लिये जायेंगे। (5000/–पंजीकरण शुल्क + 21930/– शिक्षण शुल्क कुल राशि रूपये 26930/–) इस राशि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सामूहिक दुर्घटना बीमा की प्रिमियम राशि रूपये 50/– भी ली जावेगी। (यदि राज्य सरकार द्वारा शिक्षण शुल्क की राशि बढ़ायी जाती है तो उसी के अनुरूप अभ्यर्थियों द्वारा जमा करवानी होगी)

9. किसी भी अभ्यर्थी को उसके द्वारा पीएसएसएसटी 2017 के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा चयनित शास्त्री–शिक्षाशास्त्री शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश दिया जा सकता है। किसी विशेष जिले का निवासी होने के आधार पर कोई अभ्यर्थी उसी जिले में प्रवेश पाने का दावेदार नहीं हो जाता।

10. महिलाओं को उनकी मैरिट के अनुसार सह शिक्षा वाले महाविद्यालय में 20 प्रतिशत तक सीटें आवंटित की जा सकेंगी।

11. शिक्षण विषय का चयनः–

(i) चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रविष्ट सभी विद्यार्थियों के लिए प्रथम शिक्षण विषय के रूप में ''संस्कृत शिक्षण'' लेना अनिवार्य होगा। द्वितीय शिक्षण विषय का निर्धारण चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में लिए गये ऐच्छिक/सहायक विषयों के आधार पर किया जावेगा। इस पाठ्यक्रम में द्वितीय शिक्षण विषय के चयन का आधार वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय सहित)/समकक्ष परीक्षा में ऐच्छिक आधुनिक विषय के रूप में लिए गये ऐच्छिक/सहायक विषय होगें।

(ii) 'शिक्षण विषय' से अभिप्राय है ऐसा विषय जो अभ्यर्थी ने चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम स्तर पर लिया हो। यह विषय अनिवार्य ऐच्छिक एवं सहायक विषय

भी हो सकता है बशर्ते अभ्यर्थी ने इस विषय का कम से कम दो वर्ष तक अध्ययन किया हो और विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष इस विषय की परीक्षा ली हो। शिक्षण विषय में ऐसे विषय सम्मिलित नहीं किए जायेगें, जिनका अभ्यर्थी ने आंशिक अध्ययन किया हो।

(iii) जिन अभ्यर्थियों ने वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय सहित) /समकक्ष परीक्षा में ऐच्छिक आधुनिक विषय के रूप में इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान विषय में से कोई एक विषय लेकर अध्ययन किया हो और इन्हें उत्तीर्ण की हो तो उन्हें चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में द्वितीय शिक्षण विषय के रूप में सामाजिक ज्ञान, (Social Studies) विषय लेने की अनुमति होगी।

(iv) जिन अभ्यर्थियों ने वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय सहित) /समकक्ष परीक्षा को राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय लेकर उत्तीर्ण की है वे चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम हेतु द्वितीय शिक्षण विषय के रूप में नागरिक शास्त्र (Civics) विषय लेने के पात्र होंगे।

(v) द्वितीय शिक्षण विषय निर्धारण के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति में समन्वयक PSSST–2017 का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

12. पात्रता नियमों का स्पष्टीकरण–

(i) चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकेण्डरी (10+2) परीक्षा (संस्कृत विषय सहित)/ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान से पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सैकेण्डरी (संस्कृत विषय सहित) उर्त्तीण की हो तथा प्रवेश की अन्य शर्तें पूर्ण करते हों चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए पात्र होगें।

(ii) चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों मे जो विषय अभ्यास शिक्षण (Pratice Teaching) विषयों में अंकित है उनके अनुसार जो अभ्यर्थी शिक्षण विषय लेने में असमर्थ हैं, उन्हें पीएसएसएसटी–2017 परीक्षा में नहीं बैठना चाहिये।

(iii) जो अभ्यर्थी पीएसएसएसटी–2017 के लिए आवेदन–प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि तक पात्रता शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरी नहीं करते है तो उसे पीएसएसएसटी–2017 के लिए आवेदन नहीं करना चाहिये। काउन्सलिंग की तिथि तक निर्धारित अर्हक–परीक्षा की मूल अंक तालिका प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

13. सामान्य निर्देश–

(i) प्रथमतः अभ्यर्थी को पीएसएसएसटी–2017 में बैठने की अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिये क्योंकि परीक्षा में बैठने के स्तर तक आवेदन–पत्रों की जांच विश्वविद्यालय द्वारा की जानी आवश्यक नहीं है। परीक्षा में बैठने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी

की अपनी है जो उसे चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार उस दशा में नहीं देती, यदि बाद में यह पता लगे कि वह इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु या पीएसएसएसटी–2017 में प्रवेश हेतु पात्रता ही नहीं रखता, क्योंकि पीएसएसएसटी–2017 परीक्षा में बैठना अभ्यर्थी की अपनी जोखिम है, उसे यदि अंक सूची भी दे दी जाती है तो भी उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिल जाता, यदि यह बाद में वह अपात्र सिद्ध हो जाता है।

(ii) अभ्यर्थी को पीएसएसएसटी–2017 सामान्य निर्देशिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिये और उनकी पालना करनी चाहिये।

(iii) परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ संलग्नकों (प्रमाण–पत्र/अंक सूची आदि) का मात्र उल्लेख करना और उन्हें नत्थी/संलग्न नहीं करना या आवेदन पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना/तथ्य अंकित करना दुराचरण माना जायेगा और ऐसा आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा। एक बार जमा किये गये आवेदन पत्र में यदि अभ्यर्थी बाद में कोई अतिरिक्त सूचना संलग्न कराना चाहता है तो उसे रु. 500/– नकद के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करने पर ही वह सूचना जोड़ी जा सकेगी।

(iv) पी.एस.एस.एस.टी.–2017 का शुल्क किसी भी दशा में वापसी योग्य (Refundable) नहीं है। अतः निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिये।

(v) वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकेण्डरी (10+2) परीक्षा (संस्कृत विषय सहित) से अभिप्राय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर राजस्थान द्वारा दी जाने वाली सीनियर सैकण्डरी की उपाधि से है। समकक्ष का अभिप्राय भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड के समतुल्य अन्य परीक्षा जो इस प्रयोजनार्थ मान्य हो।

14. परीक्षा में उत्तर चयन–

(i) परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसे दिये गये उत्तर पत्रक में प्रश्न क्रमांक के अनुरूप **काली स्याही के बॉल पेन** से पूरे गोले को गहरा काला करना है। निशान गहरा काला और गोला पूरा भरा होना चाहिये। एक प्रश्न के उत्तर के लिये केवल एक गोले को गहरा काला करना है। एक बार गोला काला कर या डॉट आदि लगाकर उसे काटा या हटाना उचित नहीं है। एक प्रश्न में उत्तर में यदि एक से अधिक गोलों पर कोई निशान आने पर उस उत्तर को अमान्य माना जाएगा। उत्तर पत्रक पर इधर–उधर कहीं कोई निशान मत लगाइए। उत्तर पत्रक पर रफ कार्य नहीं करना है। टैस्ट बुकलैट में रफ कार्य के लिए स्थान दिया हुआ है, उस जगह का उपयोग कीजिए। कम्प्यूटर स्कैनिंग से मूल्यांकन केवल उत्तर पत्रक के आधार पर ही किया जायेगा।

(ii) टेस्ट बुकलैट विभिन्न समुच्चयों (Combinations) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे प्रश्न–पुस्तिका का क्रमांक उत्तर–पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करें और अंकों के समानान्तर गोलों को सावधानी से गहरा काला करें।

15 पी.एस.एस.एस.टी.–2017 के कटऑफ मार्क्स जारी नहीं किये जायेगें।

16. महाविद्यालय का आवंटनः– Upward Mobility **प्रक्रिया द्वारा काउन्सिलिंग होगी**

(i) अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पी.एस.एस.एस.टी.–2017 नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ii) दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मैरिट का आधार उनकी वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकेण्डरी (संस्कृत विषय सहित)/समकक्ष अर्हक परीक्षा के प्राप्तांक होंगे और यदि अर्हक परीक्षा के अंक भी समान होंगे तो जन्मतिथि को आधार माना जायेगा। यदि इसमें भी किसी प्रकार की समानता पायी जाती है तो ऐसी अवस्था में प्रश्न–पत्र के विभिन्न भागों में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये प्राप्तांकों को भी आधार बनाया जा सकता है।

(iii) राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों का महाविद्यालय स्थानान्तरण नहीं होगा।

(iv) प्रवेशित अभ्यर्थियों के बीच में तथा महाविद्यालय का परस्पर स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।

(v) It was decided that option of upward mobility shall be provided subject to availability of seats in category, subject choice etc of the candidate in subsequent round of conselling.

17. आवेदन–पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश–

निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात बेवसाईट से ऑनलाईन आवेदन नहीं किये जा सकेगें।

18. आवेदन पत्र के साथ संलग्नक–(आंवटित महाविद्यालय में रिर्पोटिंग के दौरान प्रस्तुत करना है।)

(i) अर्हक परीक्षा की सभी अंक तालिकाओं की फोटो प्रतियाँ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने पद की मुद्रा सहित प्रमाणित हो/स्व प्रमाणित हो।

(ii) सैकण्डरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र व अंक सूची की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

(iii) मूल निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।

(iv) आरक्षण श्रेणी के प्रमाण स्वरूप सक्षम अधिकारियों के प्रमाण–पत्र।

(v) किसी भी रूप में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(vi) प्रवेश पत्र बेवसाईट के माध्यम से प्राप्त किये जा सकेंगे किसी स्थिति में प्रवेश पत्र न मिलने पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से अपना प्रवेश पत्र (एडमिशन कार्ड) परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व उसे आवंटित परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्क कर वाछनिय दस्तावेजों को प्रस्तुत कर प्राप्त कर लेना चाहिये। प्रवेश पत्र (एडमिशन कार्ड) में आवंटित केन्द्र का उल्लेख रहता है।

(vii) परीक्षा के उत्तर पत्रक किसी भी स्थिति में किसी न्यायालय (सिविल अथवा क्रिमिनल) के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे न ये अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(viii) न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर होगा। राजस्थान के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सत्र 2017–18 हेतु चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश देने की जिम्मेदारी सिर्फ जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर की है। अतः शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्यों के विरूद्ध प्रवेश से संबंधित न्यायालयों में दायर वाद इस विश्वविद्यालय को स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।

19. परिणाम की घोषणा–

(i) परीक्षा परिणाम **www.psst2017.in** पर दिनांक 30.05.2017 से उपलब्ध होगा।
(ii) अभ्यर्थी की अंक सूची व अन्य सूचनाएँ ऊपर वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

18. पीएसएसएसटी–2017 से संबन्धित नवीनतम सूचना के लिए समय–समय पर वेबसाईट **www.psst2017.in** का अवलोकन करते रहें, अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।

महत्वपूर्ण सूचना

परिक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कानून के अनुसार एक अपराध है। तद्नुसार प्री–शास्त्री–शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करना तथा उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहयोग करने वालों को 03 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/–रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजायें हो सकती हैं।

डॉ. जे. एन. विजय	**डॉ. दिवाकर मिश्र**	**महेश नारायण शर्मा (RAS)**
सहायक कुलसचिव एवं सह–समन्वयक, पीएसएसएसटी–2017	**विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग एवं सह–समन्वयक, पीएसएसएसटी–2017**	**कुलसचिव एवं समन्वयक, पीएसएसएसटी–2017**